



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179599

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8111 वर्ष 2026

राजेश कुमार गुप्ता

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आदित्य गुप्ता, हर्ष वर्धन गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.एस. चतुर्वेदी तथा विद्वान ए.जी.ए.

को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक - **राजेश कुमार गुप्ता** को मुकदमा अपराध संख्या 06

सन् 2023, धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी आई.पी.सी. तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1988 की धारा 7, थाना सतर्कता अधिष्ठान कानपुर सेक्टर, जनपद कानपुर नगर में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक की कंपनी ने पॉलिटेक्निक संस्थानों को मशीनरी की आपूर्ति के लिए निविदा में भाग लिया था। प्रस्तुत किया गया है कि निविदा वर्ष 2011 में आमंत्रित की गई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2023 में दर्ज की गई। तत्पश्चात, जांच में यह पाया गया कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली अन्य दो कंपनियों ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का उक्त अन्य कंपनियों से कोई संबंध नहीं है। आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। अन्यथा भी, आपराधिक कार्यवाही में असाधारण विलंब हुआ है और इसलिए आवेदक अग्रिम जमानत का अधिकारी है। आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और वर्तमान मामले से उसका कोई संबंध नहीं है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे हैं। आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक का मामला धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत पूर्णतः आता है। आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। यदि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा। आवेदक को पुलिस द्वारा किसी भी समय अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने प्रार्थना का विरोध किया, किंतु तथ्यात्मक स्थिति पर विवाद नहीं किया।

5. विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि प्रश्नगत अपराध का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि उक्त कृत्य से समाज को कोई क्षति होती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोप व्यक्तियों के मध्य विवाद से उत्पन्न हुए हैं। विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता ऐसी है कि वे आवेदक को अग्रिम जमानत की राहत से वंचित कर दें। विद्वान ए.जी.ए. ने यह चिंता भी व्यक्त नहीं की है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पूर्ण जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. द्वारा कोई ऐसी सामग्री, तथ्य, परिस्थिति अथवा चिंता प्रदर्शित नहीं की गई है कि अभियुक्त साक्ष्य अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है अथवा अभियुक्त का चरित्र ऐसा है कि उसका खुले में रहना मात्र ही गवाहों को भयभीत करेगा अथवा अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय को विफल करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

6. प्रतिवादी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण तथ्य अथवा परिस्थितियां प्रदर्शित नहीं की गई हैं, जो आवेदक के न्याय से भागने अथवा न्याय की प्रक्रिया को विफल करने या अपराधों की पुनरावृत्ति करने अथवा गवाहों को धमकाने आदि की संभावना का संकेत देती हों।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक को वर्तमान आदेश के अनुच्छेद 2 में वर्णित अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है। आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए ₹25,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक जब भी आवश्यक हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वादा नहीं करेगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत किया जा सके।

(iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) यदि आवेदक अपना आवासीय पता परिवर्तित करता है, तो आवेदक नए आवासीय पते की लिखित सूचना संबंधित न्यायालय/विवेचनाधिकारी को देगा।

(v) आवेदक जांच में सहयोग करेगा और जब भी आवश्यक हो, पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।

(vi) आवेदक पुलिस की जांच में बाधा नहीं डालेगा अथवा उसे प्रभावित नहीं करेगा और पुलिस द्वारा एकत्र किए गए अथवा अभी एकत्र किए जाने वाले साक्ष्य के साथ कोई शरारत नहीं करेगा।

(vii) आवेदक विधि एवं व्यवस्था बनाए रखेगा।

(viii) आवेदक बंधपत्र निष्पादित करते समय अपना पता और मोबाइल नंबर विवेचनाधिकारी तथा संबंधित न्यायालय को उपलब्ध कराएगा।

(ix) आवेदक विचारण के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहेगा और उपर्युक्त अपराधों के विचारण को पूर्ण करने में न्यायालय के साथ सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(x) संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक अथवा उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति को वर्तमान आदेश के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और संबंधित न्यायालय विधि के अनुसार दंडात्मक/बलपूर्वक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विवेचनाधिकारी को आवेदक को प्रदान किए गए संरक्षण को निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

10. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

25 अगस्त, 2026

डी. तमांग